

भारतीय बैंकगि क्षेत्र में अगला संकट मुद्रा ऋण की वजह से चर्चा में क्यों?

भारतीय रजिस्टर बैंक के पूरव गवर्नर रघुराम राजन ने चेतावनी दी है कि भारत के बैंकगि क्षेत्र में अगला संकट असंगठित सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को दिये गए ऋण (जिसे मुद्रा ऋण कहा जाता है) और कसिन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बढ़ाए गए साख के कारण उत्पन्न हो सकता है।

प्रमुख बाबू

- एनडीए सरकार द्वारा 2015 में लॉन्च की गई परधानमंतरी मुद्रा योजना या PMMY के तहत मुद्रा ऋण की पेशकश की जाती है। सूक्ष्म इकाइयों के विकास और पुनर्वित एजेंसी (MUDRA) वेबसाइट के आँकड़ों के अनुसार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा इस योजना के तहत कुल 6.37 लाख करोड़ रुपए वितरित किये गए हैं।
- संसद की प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के अनुरोध पर बैंकों की गैर-निषिपादति संपत्ति (NPA) पर तैयार किया गए एक नोट में डॉ. राजन ने कहा कि सिरकार को महत्वाकांक्षी क्रेडिट लकड़ीयों को स्थापित करने या ऋणों में छूट देने से बचना चाहिये।
- डॉ. राजन ने अपने 17-पेज के नोट में लिखा, "लोकपरिषि होने के बावजूद मुद्रा ऋण के साथ-साथ कसिन क्रेडिट कार्ड दोनों की संभावति क्रेडिट जोखिम के चलते अधिक बारीकी से जाँच की जानी चाहिये।"
- उन्होंने भारतीय लघु उदयोग विकास बैंक द्वारा संचालित MSME के लिये क्रेडिट गारंटी योजना को भी सूचित किया और इसे "एक बढ़ती आकस्मिक देयता" कहा जिसे तत्काल परीक्षण की आवश्यकता है।
- उन्होंने लिखा, "2006-2008 की उस अवधि में बड़ी संख्या में NPA उत्पन्न हुए थे जब आरथिक विकास मजबूत था। यह ऐसा समय होता है जब बैंक गलतर्याँ करते हैं।"
- छोटे ऋणों की समस्या पर उन्होंने नोट में कहा, "मुझे इस मोरचे पर प्रगति की जानकारी नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।"
- डॉ. राजन ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे कृष्टिरण पर छूट न देने के लिये सहमत हों क्योंकि इस तरह के छूट क्रेडिट संस्कृति को खराब करते हैं और अंततः क्रेडिट के प्रवाह को कम करते हैं।
- उन्होंने भारतीय रजिस्टर बैंक के खलिफ लगे आरोपों का बचाव किया कि एनपीए की गङ्गाज़ी रजिस्टर बैंक की वजह से है। उन्होंने कहा, "सच यह है कि बैंकर, परमोटर और परसिथियाँ NPA की समस्या पैदा करते हैं। वाणिज्यिक ऋण की प्रक्रिया में आरबीआई मुख्य रूप से एक रेफरी की भूमिका नभिता है, न कि एक खतिलाझी की।"
- इसी तरह, उन्होंने इस बात का वरिष्ठ किया कि जिबरन एनपीए की पहचान ने क्रेडिट और अरथव्यवस्था में मंदी को आमंत्रित किया है। उन्होंने लिखा, "सबूतों को देखने पर पता चलता है कि यह दावा हस्यास्पद है और उन लोगों द्वारा किया गया है जिन्हें इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है।"

गैर-निषिपादनकारी परसिंपत्तियाँ (NPA)

- गैर-निषिपादनकारी परसिंपत्तियाँ (Non-Performing Assets - NPAs) वित्तीय संस्थानों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऐसा वर्गीकरण है जिसका सीधा संबंध कर्ज़/ऋण/लोन न चुकाने से होता है।
- जब ऋण लेने वाला व्यक्ति 90 दिनों तक ब्याज अथवा मूलधन का भुगतान करने में वफ़िल रहता है तो उसको दिया गया ऋण गैर-निषिपादति परसिंपत्ति माना जाता है। दूसरे शब्दों में, एनपीए वैसी परसिंपत्ति होती है जो मूल रूप से वसूली की अनुमानित अवधितिक नकद मौद्रकि प्रवाह का हसिसा नहीं बनती है।